न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14 / 2021   नामान्तरकरण अपील

1. जितेन्द्र पुत्र बनवारीलाल एवं माता श्रीमति आशा देवी
2. पुरूषोत्तम पुत्र बनवारीलाल एवं माता श्रीमति आशा देवी
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. श्रीमति रेणु पुत्री बनवारीलाल पत्नि योगेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जगतपुरा पुरुषार्थ नगर जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. लाडलीदास पुत्र गोरधनदास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. बालमुकुन्द पुत्र गोरधनदास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा(फौत)।
   2/1 पुष्पा देवी पत्नि बालमुकुन्द जाति ब्राह्मण निवास ठीकरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. श्रीमति बन्नी देवी पुत्री गोरधनदास पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी खडखडा तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. श्रीमति मन्नी देवी पुत्री गोरधनदास पत्नि संतोष कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
5. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश अधीनस्थ तहसीलदार सिकराय दिनांक 22.12.2020 नामान्तरकरण संख्या 75 ग्राम पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :—: श्री उमेश गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/1 उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 21.01.2025

संक्षिप्त में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने मृतक खातेदार स्व. गोरधनदास की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 48 एयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 1.0500 है. ग्राम पिलोडी तहसील सिकराय का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 22.12.2020 खातेदार की मृत्यु के बाद उनके दोनो पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम उनके अन्य उत्तराधिकारीगण की जांच किये बिना पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.12.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/1 की ओर से अधिवक्ता श्री मानसिंह गुर्जर उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड तलवाने की गई किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 उपस्थित नहीं आये। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिकराय ने मृतक खातेदार गोरधनदास की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 48 एयर व खसरा नम्बर 26 रकबा 1.0500 है. वाके ग्राम पीलोडी तहसील सिकराय का प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.12.2020 खातेदार की मृत्यु के बाद उनके दोनो पुत्रगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम उनके अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:31 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्तराधिकारीगण की जांच किये बिना पारित कर दिया। जबकि स्व. गोरधनदास के उत्तराधिकारीगण उनके दोनो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व उनकी जीवित पुत्रियां रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 तथा अपीलान्ट्स की स्व. माता श्रीमति आशा देवी थी, जिसका निधन दिनांक 06.04.2015 को हो गया था। अपीलान्ट्स के भी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के साथ उक्त आराजी अंकित नामान्तरकरण में समाहित है। पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के निर्णय दिनांक 07.12.2020 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.12.2020 की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 15.12.2020 को भरा जिसकी तुलना भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.12.2020 को अंकित की है तथा अधीनस्थ तहसीलदार सिकराय ने मृतक के सभी उत्तराधिकारीगण की जांच किये बिना दिनांक 22.12.2020 को नामान्तरकरण आदेश स्वीकार अंकित कर अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं किया है। उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं निगरानी संख्या 2021 / 120 माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में विचाराधीन है। प्रकरण में आराजी के अभिलेख व मौके के स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश भी प्रचलित है। सक्षम न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण से पूर्व पारित प्रश्नगत नामान्तरकण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है तथा अपीलान्ट्स प्रश्नगत आदेश को चुनौती देने में सक्षम है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया है तथा अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लाने पर दिनांक 07.04.2021 को होने पर अपीलान्ट्स ने तहसील कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को आवेदन कर दिनांक 09.04.2021 को नकल प्राप्त की। तदोपरान्त 10.04.2021 से 14.04.2021 तक राष्ट्रीय अवकाश के बाद अपील जानकारी से समय सीमा में प्रस्तुत की है तथा विलम्ब को क्षम्य करवाने के लिये आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.12.2020 निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 / 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 22.12.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 139 / 2007 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2020 की पालना में खोला गया है। जिसकी अपील की जानी चाहिये थी। अपीलान्ट्स द्वारा अपील में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रकरण अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं निगरानी संख्या 2021 / 120 माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में विचाराधीन है। अपीलान्ट्स को प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा पेश किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा हकत्याग कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपील में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत नामान्तरकण न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के निर्णय दिनांक 07.12.2020 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील एवं माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी संख्या 2012 / 120 विचाराधीन होना तथा प्रकरण में आराजी के अभिलेख व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश भी प्रचलित होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस न्यायालय के स्तर पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा